न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 19/2017

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
राज. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर		श्रीमति हेमा देवी पत्नी नवलाराम जाट, ग्राम-रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

-:: आदेश ::-

दिनांक:- 15.01.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामनगर, पटवार हल्का बलवना के पुराने खसरा नम्बर 6 द्वितीय भू प्रबंध के बाद नये खसरा नम्बर 7 किस्म गै.मु. वाला के नियम विरूद्ध किए गए नियमन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामनगर पटवार मण्डल बलवना के पुराने खसरा नम्बर 6 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. वाला जो सिवाय चक दर्ज था। जिसका नियमन उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/54 दिनांक 07.01.1983 के द्वारा किया गया है। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन/नियमन गै.मु.वाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। जैर प्रार्थना पत्र भूमि के पुराने खसरा नम्बर 6 थे जो द्वितीय भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 7 बना जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का नियमन आदेश के साथ ही उसके संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.01.1983 एवं 51 दिनांक 24.06.1992 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन वाला दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीयां ने बक्त बहस एवं अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम रामनगर पटवार मण्डल बलवना के जैर प्रार्थना पत्र भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो जिस आवंटन/नियमन आदेश के तहत स्वीकृत किया गया है। उसकी प्रति प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गई है। जिसके अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ड्रॉप फरमाया जावें। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि कौन-कौन से म्यूटेशन किस-किस दर्जे से स्वीकृत किए गए है जैर प्रार्थना पत्र भूमि मौके पर वर्तमान में वाला के रूप में स्थित नहीं है बल्कि काबिल काश्त भूमि है, जिस पर अप्रार्थीया ने लाखों रूपये लगाकर काबिल काश्त बनाया है एवं अपना भरण-पोषण करती है तथा इस संबंध में वास्तविक स्थिति बाबत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी तथ्य के आधार पर अप्रार्थीया के विरूद्ध रेफरेन्स कार्यवाही ड्रोप फरमाते हुए प्रकरण को खारिज करावें।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश 2

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामनगर पटवार मण्डल बलवना तहसील सुमेरपुर में स्थित भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 6 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मु. वाला एवं द्वितीय भू प्रबंध के बाद नये खसरा नम्बर 7 रकबा 0.62 है. चाही दोयम दर्ज हुई। जो उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/54 दिनांक 07.01.1983 की पालना में नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.01.1983 जिससे अप्रार्थीया को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं अति. तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1992 द्वारा अप्रार्थीयां को खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन वाला दर्ज थी जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आता है। जिससे अप्रार्थीया के हक में किया गया नियमन विधि विरूद्व होने से खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/54 दिनांक 07.01.1983 एवं इसकी पालना में भरे गए नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.01.1983 एवं 51 दिनांक 24.06.1992 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीयां श्रीमति हेमा देवी पत्नी नवलाराम जाट, ग्राम–रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित नियमन आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/54 दिनांक 07.01.1983 एवं इसकी पालना में भरे गए नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.01.1983 एवं 51 दिनांक 24.06.1992 को निरस्त करावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)